NON-RECOGNITION OF PHARMACY DIPLOMA OF DELHI POLYTECHNIC

1454. SHRI KAMESHWAR SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pharmacy Diploma of Delhi Polytechnic has not been recognised by the National Council of Pharmacy; and

(b) if so, the reasons therefor and the causes of the delay?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) Yes.

(a) The Pharmacy Council of India has prescribed standards for the Diploma in Pharmacy Course and inspects institutions conducting the Diploma course before granting recognition. The Council carried out inspection of the Diploma in Pharmacy course conducted at Delhi Polytechnic in 1965 and 1966 and recommended the making good of certain deficiencies. The last inspection was done in June, 1967 and the inspection report is under consideration of the Pharmacy Council of India.

भारतीय समुद्र में विदेशी मोटर नावें

1455. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोना, घड़ियां आदि विदेशी वस्तुएं लेकर विदेशी मोटर नावें फारस की खाड़ी द्वारा हिन्द महासागर में प्रवेश कर बम्बई, गोआ आदि जैसे तटवर्ती नगरों की ओर आती हैं और भारतीय जहाजों की सहायता से ये वस्तुएं चुपचाप भारतीय एजेंटों को पहुंच जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी जहाजों तथा उनके भारतीय एजेंटों की ऐसी अवैध कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को समुद्र में तेज रफ्तार से चलने वाले लांचों से लैस कर दिया गया है । सामान्य तौर पर तथा सूचना मिलने पर ये लांच समुद्र में गश्त लगाते हैं । अगर कोई संदिग्ध जलयान पाये जाते हैं तो उनकी तलाशी ली जाती है । समुद्र तट पर भी जोरदार गश्त लगाई जाती है ।

तस्करी को रोकने के लिये किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं :—

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसके पीछे लगे रहना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार करने योग्य भागों की गश्त और सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन भारी दण्ड लगाने के अलावा उपयुक्त मामलों में मुकदमे चलाना तथा विभागीय न्याय-निर्णयों के मामलों में निषिद्ध वस्तुओं की जब्ती, जिन मामलों में पकड़े गये माल का बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक होता है उनमें मुकदमे की कार्यवाही के पश्चात सीमाशुल्क अधिनियम में अब कारावास के अधिक के भारी दण्ड की व्यवस्था की गई है । सोने के तथा हीरे और घड़ियां के अभिग्रहण के मामले में सीमाशुल्क अधिनियम में यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि माल के चोरी छिपे न लाये जाने का सबूत देने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होगी जिसके पास से माल पकड़ा गया हो । यह उपबन्ध हाल ही में निम्नलिखित वस्तुओं पर भी लागू कर दिया गया है :

(i) सौन्दर्यवर्धक वस्तुएं

(ii) मेकेनिकल लाइटर तथा उसके लिए चकमक पत्थर

(iii) ताश; और
सेफ्टी रेजर की ब्लेडें

बिहार के अकालग्रस्त क्षेत्रों में फीस की छूट

1456. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के अकाल तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों

की फीस की छूट की अवधि तीन मास से 6 मास तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सूचना बिहार राज्य सरकार को भेज दी गई है और यदि हां, तो कब; और

(ग) इस शीर्षक के अन्तर्गत बिहार राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जिन क्षेत्रों को राज्य सरकार ने अकाल-ग्रस्त घोषित किया है वहां के छात्रों की फीस तीन महीने के लिए माफ़ करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने मौजूदा वर्ष में सूखा सम्बन्धी सहायता के लिए निर्धारित 42 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, अधिक से अधिक 40 लाख रुपया खर्च करने की अनुमति दी है ।

ग्रामों में मेडिकल कालेज

1457. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को ग्रामों में मेडिकल कालेज खोलने के अपने प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजन के लिए सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) से (ग), मेडिकल कालिज किन किन स्थानों पर खोले जाने चाहियें इसका निर्णय राज्य सरकारें करती हैं । महाराष्ट्र सरकार ने सेवाग्राम में मेडिकल कालिज की स्थापना के लिये खास तौर पर प्रस्ताव भेजा है । इस पर अभी विचार हो रहा है ।

(घ) नए मेडिकल कालिज खोलने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता चौथी योजना के लिये अनुमोदित नियम के अनुसार दी जाती है । इसके अनुसार आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों प्रकार के खर्च का 50 प्रतिशत दिया जाता है ।

सेवाग्राम में प्रस्तावित मेडिकल कालिज को कितनी सहायता दी जायेगी यह अभी निर्णीत नहीं हुआ है ।

Admission to Medical Colleges in Union Territories

1458. SHRI HEM RAJ: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) the number of students who applied for admission in the various Medical Colleges in the Union Territories in India during the current year;

(b) the number of students who got admission and the number rejected and the Division of those rejected; and

(c) the number of students who passed in the Third Division and were still admitted?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) and (b). 6829 students applied for admission to the Medical Colleges in the Union Territories during the year 1967. Out of them 454 have been admitted and the remaining have been rejected for admission in these colleges. Information regarding the division secured by all those who were rejected admission due to non-availability of seats or not possessing the minimum prescribed qualifications is not available.

(c) One.